

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-405 दिनांक-18.03.2021 अंतर्गत व्यय की स्वीकृति को रद्द करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत्यादेश सं0-405 दिनांक-18.03.2021 द्वारा राज्य के नगर निकायों के लिए, वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गयी कटौती की संचित राशि में से नगर पंचायतों के लिए ₹1565.68 लाख (पंद्रह करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति दी गयी थी।

2. कतिपय कारणों से उक्त राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी।
3. वर्णित स्थिति में स्वीकृत्यादेश सं0-405 दिनांक-18.03.2021 द्वारा आवंटित राशि ₹1565.68 लाख (पंद्रह करोड़ पैंसठ लाख अड़सठ हजार रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति को रद्द किया जाता है।
4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

50

04/06/26

प्रतिलिपि:- संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आस सचिव/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/योजना एवं विकास विभाग/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर पंचायत/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन/प्रधान सचिव, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बजट शाखा/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/प्रशाखा पदाधिकारी प्रशाखा-02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय आई०टी० प्रबंधक को सभी संबंधित को ई0मेल करने एवं विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02 को (2 प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।